संख्या-172/2024/1628/22-2-2022-17(1180)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी पुत्र स्व0 रणधीर दूबे, निवासी जनपद-श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अशोकधर द्विवेदी पुत्र स्व0 रणधीर दूबे, सुविखा, थाना-गिलौला, जनपद-श्रावस्ती का निवासी है। विद्यालय के लिए आवंटित धन की हेरा-फेरी की जांच करने गये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुये विवाद के कारण बंदी ने दिनांक 14.10.2006 को तमंचे से गोली मारकर विनोद कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-04/2008 व 5/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 333, 353, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, गोण्डा के आदेश दिनांक 11.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.01.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह 28 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 10 माह 21 दिन की सजा की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती द्वारा बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी के ऊपर अन्य अभियोग भी पंजीकृत होने, आपराधिक मानसिकता से इन्कार नहीं किये जाने, भविष्य में किसी घटना को कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, दोनों पक्षों के मध्य रंजिश होने के दृष्टिगत बंदी द्वारा वादी/गवाह को डराये धमकाये जाने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की उम्र 60 वर्ष, कारित अपराध की प्रकृति तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी (बन्दी संख्या-7819/2016) पुत्र स्व0 रणधीर दूबे, निवासी जनपद-श्रावस्ती की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-172/2024/1628(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-9409/2023 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 व अवमानना याचिका (सि0) संख्या-3366/2024 अशोकधर द्विवेदी बनाम भास्कर पाण्डेय, संयुक्त सचिव, गृह विभाग में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के सन्दर्भ में।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट पिटीशन सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।